संसद में सुषमा स्वराज

सच्चाई को दबाता है प्रधानमंत्री का वक्तव्य

Hkkjrh; turk ikVh

प्रकाशकीय

लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता श्री अन्ना हजारे के अनिश्चितकालीन अनशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने संसद में वक्तव्य दिया। गत 17 अगस्त 2011 को इस वक्तव्य पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री के तर्कों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि हम संसदीय प्रक्रियाओं के साथ हैं। संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। लेकिन नागरिक अधिकार सर्वोपरि हैं। देश आजाद है। मैं नागरिकों के अधिकारों पर रोक लगाने की सरकार की नीति को खारिज करती हूं।

लोकसभा में 'तेलंगाना राज्य के गठन में हुए विलम्ब से उत्पन्न स्थिति तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम' के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। गत 5 अगस्त 2011 को इस प्रस्ताव पर चर्चा की शुरूआत करते हुए श्रीमती सुषमा स्वराज ने कांग्रेस की वादाखिलाफी पर जमकर प्रहार किया। श्रीमती स्वराज ने तेलंगाना राज्य गठन के बारे में सरकार से विधेयक लाने का आग्रह कर आश्वासन दिया कि भाजपा इस विधेयक को दो तिहाई बहुमत दिलाने में पूर्ण सहयोग करेगी।

हम इस पुस्तिका में उपरोक्त दोनों मुद्दे पर व्यापक जनजागरण की दृष्टि से श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा दिए गए भाषणों का सम्पादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं। आशा है पाठक इससे अवश्य लाभान्वित होंगे।

i:dk'kd
Hkkjrh; turk ikVh
11] v'kksd jkM]
ubZ fnYyh&110001

vxLr 2011

प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर चर्चा

सच्चाई को दबाता है प्रधानमंत्री का वक्तव्य

लोकपाल विधेयक को लेकर श्री अन्ना हजारे के अनिश्चितकालीन अनशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए वक्तव्य पर लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा दिए गए भाषण का सम्पादित पाठ :

अध्यक्ष महोदया, इससे पहले कि मैं इस वक्तव्य पर अपनी बात प्रारम□ करूं मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं। आपने यह चर्चा प्रारम□ करने से पहले पीठ से एक विशेष टिप्पणी की थी। शायद कोई संद□ आपके दिमाग में जरूर रहा होगा, जो आपने वह टिप्पणी की। लेकिन उसका सबसे पहला उल्लंघन आज संसदीय कार्य मंत्री ने किया। आडवाणी जी, इस सदन के वरिष्ठतम सांसद हैं। सबसे ज्यादा अनु□वी और आदरणीय हैं। उन्होंने खड़े होकर बहुत शिष्टता के साथ अपनी एक बात आपके सामने रखी, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री ने खड़े होकर जो कहा आप रिकॉर्ड में देखिए।

महोदया, मैं स्वयं संसदीय कार्यमंत्री रही हूं और संसदीय कार्यमंत्रियों का पहला लेसन यही होता है कि वे स्वयं नहीं बोलते हैं और सदन को चलने देते हैं।

अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा वक्तव्य, विस्तृत वक्तव्य सदन के सामने रखा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी यह इतना लंबा–चौड़ा वक्तव्य सच्चाई को उजागर कम करता है और दबाता ज्यादा है। अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार के कन्धों से उठाकर प्रधानमंत्री ने दिल्ली पुलिस के कन्धे पर डाल दी।

अध्यक्ष जी, इस देश में □ष्टाचार की मुहिम बहुत तेजी से कई दिनों से चल रही है। आप स्वयं साक्षी हैं। आप स्वयं साक्षी हैं कि संसद का पूरा शीतकालीन सत्र इस □ष्टाचार की □ेंट चढ गया, लेकिन उसके परिणामस्वरूप सत्ता पक्ष के तीन–तीन लोग आज जेल के □ीतर हैं। यह उसी का परिणाम है। आज इस आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे हैं। लेकिन सरकार का रवैया समझ से परे हैं। सरकार एकदम असंतुलित व्यवहार कर रही है और यह असंतुलित व्यवहार बार–बार देखने में आ रहा है। आज प्रधानमंत्री इस वक्तव्य के लग□ग चार–पांच पैराग्राफ्स में पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी की बात करते हैं। सदन की प्रक्रियाओं की बात करते हैं। यह बात सही है, मैं □ी कह रही हूं कि यह सही है। पार्लियामेंटरी प्रोसेस की बात करते हैं।

संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से कानून बनाने की बात करते हैं। पहला प्रश्न प्रधान मंत्री जी आपसे है कि पार्लियामेंट प्रोसेस को दरकिनार करने काम किसने किया? सारे के सारे विपक्ष को दरकिनार करके अण्णा हजारे की टीम के साथ बात करने का निर्णय किसने किया? नेता सदन समते पांच वरिष्ठ मंत्री इस सरकार के अण्णा हजारे की टीम के साथ बैठे। जब अण्णा हजारे हमसे मिलने आए, तो हमने उनसे पूछा कि आपने विपक्ष के बाकी लोगों को इसके बाहर क्यों रखा, इस पर उन्होंने कहा कि हमने सरकार से कहा था कि इसमें बाकी विपक्ष के लोग □ी होने चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा कि हम और आप ही ठीक हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि तब तो हम और आप ही ठीक हैं, उस समय तो आप और वे ही ठीक ते, लेकिन जब बात बिगड़ गई तो सरकार का सुर बदल गया। सरकार को पार्लियामेंट प्रोसेस याद आया। तब सरकार ने हमें चिट्ठियां लिखीं, तब सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई।

सारे नेता जो यहां बैठे हैं, एक–एक नेता ने उन्हें वहां कहा कि उस समय आपको हमारी याद क्यों नहीं आई।

अध्यक्ष जी, वह कपिल सिब्बल जो सबसे ज्यादा बैठते थे उनके साथ, बाद में उन्हें □ष्टाचारी बताते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता, जो इसी सदन के सदस्य हैं, वह कहते हैं कि अण्णा हजारे ऊपर से नीचे तक □ष्टाचार में लिप्त हैं।

बशीर बद्र साहब का एक शेर है –

n'euh tedj djk] ij bruh x;tkb'k jg
fQj d h ge nkLr cu tk,] rk 'kfeank u gkA

मैडम, ए कम्पनी किसने कहा था? मैंने नाम लेकर कहा कि कांग्रेस के

प्रवक्ता, इसी सदन के सदस्य हैं, बल्कि मैं तो उन्हें सलाह देना चाहती हूं मनीष तिवारी जी को, कि आपका राजनैतिक जीवन अ□ी शुरू हुआ है, पहली बार सांसद बनकर आए हो, थोड़ा □ाषा का संयम सीखो। यह शेर मैंने आपके लिए ही पढ़ा कि

n|'euh tedj djk] ij bruh x|tkb'k jg|
fQj d h ge nkLr cu tk,] rk 'kfe:nk u gkA

अध्यक्ष जी, अगले दिन कांग्रेस की मीटिंग हुई, सूत्रों के हवाले से कहा गया कि अण्णा हजारे पर निजी हमला नहीं किया जाएगा, व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाएगा। आप जानती हैं कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात क□ी वापस नहीं आती। निजी हमला तो हो चुका, व्यक्तिगत हमला तो हो चुका। उसके बाद बचा क्या था, लेकिन मैं आज प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आप जो पार्लियामेंट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उस पार्लियामेंट प्रोसेस को खत्म करने का काम आपकी ही सरकार ने किया है। और आज आप हमारे से बात कर रहे हैं।

मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं। प्रधान मंत्री जी आपने अपने वक्तव्य के पैराग्राफ 11 में लिखा है कि आप नागरिक अधिकारों के बड़े रक्षक हैं।

'Our Government acknowledges the right of citizens to hold peaceful protest'.

इससे ज्यादा असत्य बात कौन सी हो सकती है? चार जून की रात को, स्वामी रामदेव के समर्थकों पर, सोते हुए लोगों पर, □जन–कीर्तन करते हुए लोगों पर जो लाठियां बरसाई गयीं, क्या वह नागरिक अधिकारों का रक्षण था? मैं पूछना चाहती हूं कि अ□ी 9 अगस्त को, अंग्रेजों □ारत छोड़ो के दिन, □ारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों पर जो लाठियां बरसाकर, एक अपंग को पूरा विकलांग कर दिया गया, क्या वह नागरिक अधिकारों का रक्षण था? मैं पूछना चाहती हूं कि बिना धारा 144 तोड़े मयूर विहार के रेसिडेंस से अन्ना हजारे को गिरफ्तार करना क्या नागरिक अधिकारों का रक्षण था? वे कह रहे थे कि वक्तव्य अच्छा है, मैं कहना चाहती हूं कि उनका वक्तव्य असत्य का पुलिंदा है।

अध्यक्ष जी, जिस तरह से कल देश □ष्टाचार के खिलाफ उद्वेलित हुआ है, □ष्टाचार के खिलाफ जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं ये सरकार उन पर अत्याचार करती है, ये सरकार □ष्टाचारी □ी है और अत्याचारी □ी है। अ□ी उस तरफ से कोई कह रहा था कि आरएसएस को लोग, अगर

आरएसएस का समर्थन किसी आंदोलन को मिल जाए, तो गृह मंत्री को पता नहीं क्या हो जाता है, फिर वे उत्तेजित हो जाते हैं। प्रधान मंत्री जी, मैं पूछना चाहती हूं कि इसी दिल्ली के अंदर जिलानी के नेतृत्व में अलगाववादी आकर □ाषण देकर चले जाते हैं, आपकी दिल्ली पुलिस चूं □ी नहीं करती। उनके नागरिक अधिकारों के रक्षक आप जरूर हैं, लेकिन अगर कोई □गवावेश में साधु आ जाए, अगर कोई गांधी टोपी लगाए गांधीवादी आ जाए और अगर कोई आरएसएस का समर्थक आ जाए, तो आव देखा न ताव, बस लाठियां चलाओ। यही काम करने की आपने बात की है।

वे जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आपको आरएसएस से चिढ क़्यों है? अरे, आरएसएस तो एक देश□क्त संस्था है।

अध्यक्ष जी, इस सदन के 116 सांसद आरएसएस के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उस सदन के 45 सांसद आरएसएस के प्रति श्रद्धा रखते हैं, देश के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री आरएसएस के प्रति श्रद्धा रखते हैं और आप समझते हैं कि आरएसएस को देश का समर्थन नहीं है? लेकिन एक बार अगर किसी आंदोलन को आरएसएस का समर्थन मिल जाए तो पूरी की पूरी सरकार उत्तेजित हो जाती है। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं प्रधान मंत्री जी कि आपने बार–बार इस वक्तव्य में दिल्ली पुलिस का नाम लिया। कल इस सरकार के चार–चार मंत्री चैनलों पर जाकर सरकार का बचाव क्या कहते हुए कर रहे थे कि हमें क्या मालूम, पुलिस कमिश्नर जाने। जब माननीय चिदम्बरम जी से पूछा गया कि अन्ना हजारे कहां हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, पुलिस कमिश्नर से पूछो? माननीय मंत्री जी, आप सदन से जा क्यों रहे हैं, आपने कहा था कि मुझे नहीं पता, पुलिस कमिश्नर से पूछो। कल रात को चैनल पर नारायण सामी, अम्बिका सोनी बार–बार कह रहे थे कि मजिस्ट्रेट से पूछो कि क्यों उनको बंद किया, क्यों उनको रिहा किया और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही की वही बात यहां लिख दी। सुबह तो मजिस्ट्रेट को यह लग रहा था क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि वे शांति □ग कर देंगे, उनका आंदोलन हिंसक हो जाएगा, इसलिए उन्हें सात दिन के लिए तिहाड़ □ज दिया। लेकिन शाम को दिल्ली पुलिस को लगा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने एक याचिका डाल दी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। अध्यक्ष जी, यह सरकार अनिर्णय की स्थिति में है और यह सरकार अपने लिए निर्णय □ी ओट नहीं पाती।

महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या कोई आपके इस आर्ग्यूमेंट को बाय करेगा, क्या देश इसे स्वीकारेगा कि प्रधानमंत्री को पता नहीं और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तय कर रहे हैं कि कहां अनशन होगा, कितने दिन का अनशन होगा, कितने लोग आएंगे और मैजिस्ट्रेट तय कर रहा है कि वे सात दिन तक जेल में रहेंगे या शाम तक जेल में रहेंगे। आपने इसमें कहा है कि हमने कंडीशन्स लगाई हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये कंडीशन्स कौन–से कानून के तहत लगाई हैं। आप कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट करने के अधिकार को मानते हैं, लेकिन वह प्रोटेस्ट कितना बड़ा होगा, यह आप तय करेंगे। अनशन कितने दिन का होगा, यह आप तय करेंगे। वहां कितनी कारें आएंगी, यह आप तय करेंगे। कोई 3 दिन के लिए अनशन करे या 9 दिन के लिए अनशन करे, क्या यह सरकार तय करेगी। हमने अ□ी देश की आजादी के 64 वर्ष पूरे किए हैं। इस देश ने संविधान बनाया और संविधान ने राइट टू प्रोटेस्ट दिया है।

जहां तक बिल का सवाल है, सरकारी बिल पर हमारी आपत्तियां हैं, वहां जन लोकपाल के तमाम प्रावधानों से □ी हम सहमत नहीं हैं। हम कह चुके हैं कि लड़ाई बिल की नहीं है, लड़ाई जन लोकपाल बनाम सरकारी लोकपाल की नहीं है। सरकारी लोकपाल बिल एक निष्प्र□ावी विधेयक है, यह बिल के इंट्रोडक्शन के समय मैंने कहा था। उसे प्र□ावी बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यह लड़ाई नागरिक अधिकारों के हनन की है। जब आडवाणी जी वर्ष 1975 की बात कहते हैं, तो उन्हीं नागरिक अधिकारों के हनन की बात कहते हैं और जो अलोकतांत्रिक रवैया सरकार सदन के बाहर अपनाती है, वही अलोकतांत्रिक रवैया सरकार सदन के अंदर अपना कर विपक्ष की आवाज को बंद करने का काम करती है।

सारी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को आपने □ग करने का काम किया है। सी एंड ऐजी पर आपके लोग सदन के बाहर ही नहीं सदन के अंदर □ी प्रहार करते हैं। पीएसी के अंदर आपके लोग हुल्लड़ मचाते हैं। एक संस्था स्पीकर की रूलिंग, स्पीकर की पीठ बची थी, कल संसदीय कार्य मंत्री जी स्पीकर की रूलिंग को चुनौती दे कर आपने उस संस्था की मर्यादा को □ी नहीं छोड़ा है। इसीलिए कल आडवाणी जी आपके पास गए और हमारे वरिष्ठ लोग अंदर गए तथा उन्होंने कहा कि कम से कम आपकी रूलिंग का सम्मान तो संसदीय कार्य मंत्री को करना चाहिए, लेकिन वह □ी उन्होंने नहीं

किया। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि □ष्टाचार एक बड़ा विषय है, उस पर हम लोगों ने अलग से चर्चा मांगी है। □ष्टाचार के विषय पर हम लोग 193 के तहत चर्चा करके इस सरकार की पूरी पोल खोलेंगे, लेकिन आपके यहां से यह जो वक्तव्य आज आया है, उसमें जिस तरह से सच्चाई को छिपाया गया है, कल अन्ना हजारे जी के साथ जिस तरह से व्यवहार किया है, अगर वे कह रहे हैं कि मैं तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होऊंगा। देश आपको माफ नहीं करेगा और देश सड़कों पर उतरा हुआ है। बच्चे यूनिवर्सीटी छोड़ कर, कैम्पस छोड़ कर बाहर आ गए हैं। वकील अदालतें बंद करके बाहर हैं। जेल के अंदर अन्ना हजारे जी का अनशन चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जिस पार्लियामेंटरी प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं, उस पार्लियामेंटरी प्रोसेस के साथ हम हैं। हम सुप्रीमेसी आफ पार्लियामेंट को किसी तरह अंडरमाइन न होने देंगे और न पहले होने दिया है। वर्ष 1975 में इसी संसद की सुप्रीमेसी को आपने खंडित करने का काम किया था। हम न ज्यूडीशियरी की सुप्रीमेसी खंडित होने देंगे और न पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी खंडित होने देंगे, लेकिन नागरिक अधिकार सबसे ऊपर हैं। देश आज आजाद है। आज वतन आजाद है और इस आजाद वतन में नागरिक अधिकारों का हनन अगर सरकार करेगी, तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे तथा आपके इस वक्तव्य को मैं सिरे से नकारती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

■■

तेलंगाना मुद्दे पर कांग्रेस ने की वादाखिलाफी

"तेलंगाना राज्य के गठन में हुए विलंब से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम" पर लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा दिए गए भाषण का सम्पादित पाठ :

अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से 17 एमपीज इस सदन में जीतकर आते हैं, लेकिन 13 एमपीज ने अपनी पीड़ा और आक्रोश को अभिव्यक्ति देते हुए इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

आंध्र प्रदेश की विधान सभा में 119 लोग तेलंगाना रीजन से जीतकर आते हैं और 101 लोगों ने आंध्र प्रदेश की विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अभी आपके सामने एक साथी उधर से बोल रहे थे कि तेलंगाना के विषय में चर्चा होनी चाहिए।

इन्होंने जिन तीनों के नाम लिए हैं, उन तीनों और एक अन्य यानी चार सदस्यों ने रिजाइन नहीं किया और 13 ने रिजाइन किया है। जिन तीनों के नाम हैं, यह सच है कि इन तीनों ने रिजाइन नहीं किया। जिन चार लोगों ने रिजाइन नहीं किया, इन्होंने उनके नाम लिए हैं कि श्री जयपाल रेड्डी ने रिजाइन नहीं किया और बाकी दो ने रिजाइन नहीं किया। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं यह बात इसलिए कह रही थी कि देश की लोक सभा और आंध्र प्रदेश की विधान सभा में धीरे–धीरे बेजुबान हो रहे तेलंगाना को जुबान देने के लिए मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष जी, तेलंगाना का इतिहास एक तरफ संघर्ष की गाथाओं से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ विश्वासघात के प्रसंगों से भी पटा पड़ा है। पता

नहीं इस सदन में कितने लोगों को यह मालूम है कि भारत 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ, लेकिन तेलंगाना उसके साथ आजाद नहीं हुआ। तेलंगाना 17 सितम्बर, 1948 को आजाद हुआ, यानी भारत की आजादी के भी एक वर्ष से ज्यादा संघर्ष करके, हजारों लोगों के बलिदान के बाद तेलंगाना को आजादी मिली। अभी वे आजादी की पूरी खुशी मना भी नहीं पा रहे थे कि उनके सिर पर आंध्र प्रदेश के साथ विलय की तलवार लटक गयी। वे लोग आंध्र प्रदेश के साथ विलय नहीं चाहते थे, इसलिए विरोध शुरू हुआ। वर्ष 1953 में एक फजल अली कमीशन बैठा। उन्होंने कहा कि यह विलय उचित नहीं होगा और अगर विलय करना ही है, तो वर्ष 1961 का एक चुनाव हो जाने दो। वहां तेलंगाना के रीजन से आये हुए अगर दो–तिहाई विधायक यह कहें कि आंध्र प्रदेश में विलय कर दो, तब करना वरना मत करना।

अध्यक्ष महोदया, मैं उधर बैठे हुए साथियों को याद दिलाना चाहती हूं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत पापुलर प्रधानमंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस विलय को बेमेल बताते हुए यह कहा था कि आंध्र और तेलंगाना का विलय उसी तरह से है जिस तरह से एक इनोसेंट लड़की, एक भोली–भाली लड़की की शादी एक मिसचीवियस बॉय, एक शरारती लड़के से कर दी जाये। उन्होंने यह कहा था कि यह शादी नहीं चलेगी। जब यह शादी न चले, तो यह पति–पत्नी की तरह अलग–अलग हो जायें।

अध्यक्षा जी, मैं किसी भाजपाई नेता को कोट नहीं कर रही। यह पंडित जी का बहुचर्चित कोट है, जो उस समय के अखबारों में छपा था। मैं इन्हें कहना चाहती हूं कि 6 मार्च, 1956 का इंडियन एक्सप्रेस निकाल कर देख लें, इनवर्टेड कोमाज में यह कोट छपा हुआ है। अध्यक्षा जी, तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद यह विलय हो गया।

अध्यक्षा जी, तेलंगाना के लोगों के विरोध के बावजूद विलय हो गया। विलय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत प्रयत्न किये गये। तरह–तरह के फार्मूले अपनाए जैसे मुल्की रूल्स, प्रेजिडेंशियल आर्डर्स, फार्मूला नम्बर सिक्स, जीओ नम्बर 610, गिगलानी कमीशन बना। इतने उपाय किए गए, लेकिन उनमें से कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि सारे उपाय कागजों में रह गए, धरती पर नहीं उतर पाए। इस सबका नतीजा वही हुआ– मर्ज बढ़ता गया ज्यों–ज्यों दवा की। यह पुराना इतिहास इसलिए बताया क्योंकि मैंने पहले कहा था कि तेलंगाना के निर्माण में देरी हो रही है, शायद

गृहमंत्री जी इरीटेट हो रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती थी। मैं इस पर ज्यादा समय नहीं ले रही हूं। यह इतिहास बताना जरूरी था ताकि सदन को यह समझ में आ जाए कि विलय की पृष्ठभूमि क्या है।

अब मैं वर्तमान पर आ रही हूं और वर्तमान शुरू करूंगी वर्ष 2004 से, यूपीए की पहली सरकार से। वर्ष 2004 में कांग्रेस का टीआरएस के साथ समझौता हुआ, इकट्ठे चुनाव मैदान में गए। उस समय कांग्रेस की अध्यक्षा ने करीम नगर की एक सभा में लोगों को आश्वासन दिया कि हम तेलंगाना का निर्माण करेंगे। लोगों ने विश्वास किया और झोली भर–भरकर इनको वोट दिए। उसके बाद ये सरकार में आ गए, सरकार में टीआरएस इनका एक पार्टनर था। पार्टनर बनने के बाद इन्होंने एक सीएमपी बनाया। अभी कोई भी यहां बैठे नहीं हैं।

एक सीएमपी बना। उस सीएमपी में इन्होंने तीन राइडर्स के साथ तेलंगाना की डिमाण्ड के बारे में लिखा :

"The UPA Government will consider the demand for the formation of the State at an appropriate time after due consultations and consensus."

तीन राइडर्स इन्होंने लगाए। यह मई, 2004 का सीएमपी है जब सरकार बनी। उसके बाद जून में पहला राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ। उसी सीएमपी से भाषा उठाई गयी, मगर एक राइडर हटा दिया गया। मैं राष्ट्रपति अभिभाषण से पढ़ रही हूं :

"The Government will consider the demand for the formation of a State at an appropriate time and after due consultations."

इसमें कंसेन्सस शब्द हट गया। हमें लगा इवोल्यूशन हुआ है, तीन राइडर्स थे सीएमपी में, लेकिन शायद सरकार वाकई गंभीर है और वे कंसल्टेशन्स की बात करके रूक गए क्योंकि शायद कंसेन्सस होना संभव नहीं था, तो कंसेन्सस शब्द हटा दिया गया। यह राष्ट्रपति का अभिभाषण है जो सरकार का नीति निर्देशक सिद्धान्त होता है, जिसको मानना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसको तो आप मानेंगे? सीएमपी के आधार पर राष्ट्रपति अभिभाषण हुआ और उन्होंने एक राइडर हटाकर दो राइडर कर दिए। वर्ष 2004 से 2009 तक, पूरा कार्यकाल निकल गया, लेकिन वह उचित समय नहीं आया। कंसल्टेशन्स हुई होंगी, बहुत राजनैतिक उठापटक हुई, टीआरएस से समझौता टूटा, उन्होंने रिजाइन किया, दुबारा चुनकर आए, फिर रिजाइन

किया। उस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में मैं नहीं जाना चाहती हूं। वर्ष 2004 के बाद वर्ष 2009 का चुनाव हुआ, तेलंगाना के लोगों ने सोचा कि शायद हमें टीआरएस को ज्यादा जिता दिया था, इसलिए हमको तेलंगाना नहीं मिला, इस बार कांग्रेस को झोली भर–भर जिताओ, तो शायद हमें तेलंगाना मिल जाए। एक उम्मीद भरी निगाह से उन्होंने वोट दिया और तेलंगाना से 17 में से 12 एमपी कांग्रेस के जीतकर आए जिनमें से एक सदस्य अभी यहां बैठे हैं।

हां, दो बैठे हैं, तभी मैंने कहा कि चार इधर बैठे हैं, 13 इस्तीफा देकर चले गए, इस्तीफा आपका भी है, मगर आप हाउस अटेंड कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप हाउस अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी जबान में जबान मिलाने वाला कोई एक स्वर तो है।

अध्यक्ष जी, वर्ष 2009 के चुनाव में 12 सांसद वहां से कांग्रेस के जीतकर आए, लेकिन छः महीने तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ा, तो 29 नवंबर, 2009 को टीआरएस के नेता के.एस. राव ने अनशन किया। यह विषय 7 नवंबर, 2009 को मैंने इस सदन में उठाया था। मैं आज पहली बार तेलंगाना पर नहीं बोल रही हूं। तेलंगाना का निर्माण मेरा यह हमेशा प्रिय विषय रहा है क्योंकि हमारे यहां से वहां एक भी एमपी जीता नहीं है। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के नाते यह हमारा फर्ज बनता है। पहले नेता, प्रतिपक्ष के तौर पर आडवाणी जी हमेशा बोलते रहे और मैं बताउंगी कि आडवाणी जी ने क्या–क्या बोला? अब मैं नेता, प्रतिपक्ष के नाते मैं बोलती हूं क्योंकि कोई प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इतने बड़े विषय से अपने आपको अलग नहीं रख सकती है।

अध्यक्ष जी, 7 दिसम्बर को मैं बोली और वह विषय मैंने यहां उठाया। एक दिन के बाद यानी 9 दिसम्बर को आपने चेयर से इंटरवीन किया। के. सी. राव जी की हालत बिगड़ रही थी। आपने चेयर से कहा कि पूरे का पूरा सदन उनके बारे में चिंतित है, कुछ होना चाहिए। उसके बाद सदन में हर पार्टी के नेता बोले। गुरुदास दासगुप्ता जी बैठे हैं, वह बोले, शरद यादव जी बोले, मुलायम सिंह जी बोले, लालू जी बोले, अनंत गीतेजी बोले, अजनाला जी बोले। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यहां न बोला हो। यह 9 दिसम्बर की बात है और 9 दिसम्बर बहुत अहम् है तेलंगाना के इतिहास की जिंदगी में इसलिए मैं इसकी बात कर रही हूं। आप 9 दिसम्बर को बोलीं, आपके बाद सारे नेता बोले। फिर सरकार हरकत में आई। एक संयोग बना, 10 दिसम्बर को श्रीमती सोनिया गांधी का जन्म दिन होता है। 9 दिसम्बर की रात को,

आज के गृह मंत्री श्री चिदम्बरम ने, अर्धरात्रि को घोषणा की। वह घोषणा मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं।

The Home Minister Shri P. Chidambaram, late in the night said:

"The process of forming the State of will be initiated and appropriate Resolution will be moved in the Assembly. We are concerned about Rao's health. We request him to withdraw his fast immediately. We also appeal to all concerned specially students to withdraw their agitation and help restore normalcy."

सारे राइडर्स इसमें से हट गए। न कंसलेटेशंस, न कंसेंसस, एक केटेगोरिक एश्योरेंस गृहमंत्री जी की तरफ से आया और अर्धरात्रि को आया। उसी समय तेलंगाना में पटाखे फूटने लगे। वहां के लोगों को यह लगा कि श्रीमती सोनिया गांधी के जन्म दिन का तोहफा देश के गृहमंत्री ने उन्हें दिया है। आतिशबाजी हुई, रात को दीवाली हुई। पहली बार तेलंगाना के लोगों को यह उम्मीद पूरी होती लगी, क्योंकि होम मिनिस्टर ने यह कहा – The process of forming the State of will be initiated and appropriate Resolution will be moved in the Assembly. इसमें कहीं कंसलेटशंस और कंसेंसस की बात नहीं थी।

उन्हें लगा कि जन्मदिन का तोहफा मिला है। यह अच्छी बात थी। आप अच्छी बात को बुरा क्यों मानते हो। मैंने कहा कि इस पर खुश होकर लोगों ने पटाखे फोड़े।

मैंने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने पटाखे फोड़े। उनकी उम्मीद विश्वास में बदल गई है, क्योंकि तारीख अहम् हो गई। आप अच्छी बात को भी बुरा मान रहे हैं।

आप मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दें, मैं थोड़ा सा इंडलजेंस आपसे चाहती हूं, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं। अध्यक्ष जी, 10 दिसम्बर को जब सदन की बैठक शुरू हुई, तब नेता प्रतिपक्ष आडवाणी जी खड़े हुए। आडवाणी जी ने कहा कि "मैं बहुत आभारी हूं आप मुझे अवसर दे रही हैं। मैं सदन को इस बात के लिए बधाई दूं कि आपने सदन में जिस प्रकार आंध्र प्रदेश की स्थिति में हस्तक्षेप करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। संसद के हस्तक्षेप के कारण सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई और संसद को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन दो बातों

के बारे में सदन में कल चिंता प्रकट की गई थी। उन दोनों बातों का एक प्रकार के समाधान हो गया। हम चाहते थे कि तेलंगाना की जनता की इच्छा के अनुसार तेलंगाना प्रदेश बने। हम चाहते थे कि हमारी संसद के साथी जो दस दिन से अनशन पर थे, जिनके स्वास्थ्य की हालत चिंताजनक हो गई थी, उनके जीवन को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे, ये दोनों बातें हो गईं, मुझे इसकी बहुत खुशी है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।"

अध्यक्ष जी, मैं यह बात केवल इसलिए कह रही हूं कि केवल तेलंगाना में ही नहीं, बल्कि सदन की भी उम्मीद विश्वास में बदल गई। हमें लगा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दस दिसम्बर को प्रणब मुखर्जी साहब भी यहां बोले थे और बधाई दी सदन में, क्योंकि हमें यह लगा कि नौ दिसम्बर का वह दिन माइलस्टोन बनेगा, मील का पत्थर बनेगा, तेलंगाना के निर्माण में।

लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे हैरानी है कि 9 दिसम्बर को इस सदन में यह सब घटता है, तेलंगाना में पटाखे चलते हैं। लेकिन 23 तारीख को गृहमंत्री जी बदल गये और 14 दिन के अंदर गृहमंत्री का बयान आ गया, there is no consensus on creation. मैं पूछना चाहती हूं कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण में आपने कंसेंसस शब्द हटा दिया था, आपने कहा था केवल वाइडर कंसल्टेशन्स, नो कंसेंसस, आपने कोई बात कंसेसस की नहीं की थी। 23 दिसम्बर को जबकि प्रोसेस इनीशिएट हो जाना चाहिए था आपने कंसेंसस की बात करके वापिस back to square one लाकर खड़ा कर दिया। 23 दिसम्बर को ये बदल गये और इस सारे में से निकला, जस्टिस श्रीकृष्णा कमीशन, जिसका जिक्र अभी अपनी रिपोर्ट में, अभी अपने वक्तव्य में गृहमंत्री जी ने किया है। मैं आज कहना चाहती हूं, बिना संकोच के कहना चाहती हूं कि जस्टिस श्रीकृष्णा कमीशन ने जितना इंजस्टिस तेलंगाना के साथ किया है, उसे तेलंगाना का इतिहास कभी भूलेगा नहीं।

आप मुझे केवल पांच मिनट दें। माननीय गृहमंत्री जी का पूरा वक्तव्य श्रीकृष्णा कमेटी रिपोर्ट पर है और आपने कहा है कि उन्होंने 6 फार्मूले आपको दिये। लेकिन यह पहली बार हुआ है अध्यक्ष जी कि इतने कमीशन और कमेटियां इस देश में बनीं, हमेशा उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर दी जाती है। लेकिन पहला कमीशन है जिसने सार्वजनिक रिपोर्ट अलग से दी है और एक गुप्त रिपोर्ट अलग दी है, एक सीक्रेट रिपोर्ट उन्होंने इन्हें अलग से दी है और वह सीक्रेट रिपोर्ट जिसका जिक्र गृहमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में नहीं

किया। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वाकई एक सीक्रेट रिपोर्ट श्रीकृष्णा कमीशन ने आपको दी है और अगर ये मना करें तो उसका जवाब भी मैं देती हूं लेकिन ये मना कर नहीं सकते हैं। क्योंकि आज के युग में कोई चीज गुप्त रह नहीं सकती, खोजी पत्रकार सब कुछ निकाल लाते हैं। अब तो रिपोर्टें पहले लीक हो जाती हैं। कांग्रेस के ही एक पूर्व सांसद श्री एम. नारायण रेड्डी ने एक याचिका आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की। उन्होंने यह कहा कि हमें यह पता चला है कि कृष्णा कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एक सीक्रेट रिपोर्ट भी दी है और उस सीक्रेट रिपोर्ट को पाब्लिक किया जाए, यह प्रार्थना उन्होंने की। जिस बैंच के सामने यह पीटिशन लगी, उस बैंच के लोगों ने सरकार से कहा कि अगर ऐसा कोई डॉक्युमेंट है तो आपको उसे हमारे पास लाना होगा। वह रिपोर्ट उन्होंने वहां दी। अध्यक्ष जी, मैं कहीं और से नहीं, मैं उस जजमेंट से पढ़ रही हूं।

वह जजमेंट पब्लिक डोमेन में है। जजमेंट का ऑपरेशन स्टे हुआ है। मैं केवल यह कह रही हू। आप नहीं कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं आई। मैं इसलिए नहीं बैठूंगी, क्योंकि इसी से पोल खुलेगी, आप मेरी पूरी बात सुनिए।

महोदया, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगी। जज ने कहा –

"The Committee travelled beyond the Terms of Reference in its endeavour to persuade the Union of India not to accede to the demand for . It is demonstrated in a three-page supplementary note appending to the note representing Chapter 8."

उन्होंने माना कि एक चैप्टर नोट एक है। आप हैरान हो जाएंगी, वह नोट है पालिटिकल मैनेजमेंट करिए, मीडिया मैनेजमेंट करिए। मैं सदन को चौंकाने वाली चीजें कह रही हूं। उस नोट में लिखा है –

"There is a need for ensuring unity among the leaders of the Ruling Party in the State. There is also a need for providing strong and firm political leadership and placement of representatives of in key positions. This aspect was discussed with FM and HM in September 2010. Action also needs to be initiated for softening the TRS to the extent possible. "

"The Congress high command must sensitize its own MPs and MLAs and educate them about the wisdom for arriving at an acceptable and workable solution. With the Ruling Party and main Opposition Party being brought on the same page, these support

mechanisms have a higher probability of becoming successful. "

वह नोट कहता है कि मीडिया मैनेज करिए। मीडिया मैनेजमेंट के लिए कहा है कि वहां इतने इलेक्ट्रोनिक चैनल्स हैं, इतने प्रिंट के चैनल्स हैं। महोदया, जस्टिस रेड्डी कहते हैं –

"More disturbing is the suggestion given by the Committee to the Government."

More disturbing is the suggestion given by the Committee to the Government and it reads:

"The print media is hugely dependent on the Government for advertisement revenue and if carefully handled can be an effective tool to achieve this goal."

महोदया, यह रिपोर्ट है। यह जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, यह एआईसीसी की रिपोर्ट है और आज तक ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है।

मैं अभी ओथेंटीकेट करके रख देती। यह जजमेंट की कापी है। गृहमंत्री जी, मैंने ये बातें इसलिए रखीं, क्योंकि वहां तरह–तरह के धोखे हो रहे हैं। यह जो सरकार की हरकत है, इससे हताश हो कर लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में 600 लोग मर गए। महोदया, आप मुझे बैठने के लिए कह रही हैं, मैं जो बात कहने जा रही हूं, उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दिल्ली में एक लड़का आया, जिसका नाम यादी रेड्डी था। वह इतना बड़ा तेलगु का नोट आत्महत्या करने से पहले लिख कर गया। मैं केवल चार लाइनें आपको पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। उस लड़के ने दिल्ली में आत्महत्या की। उसने लिखा कि हैदराबाद ट्रेन चढ़ने से पहले बहुत सारे ख्यालों में कुछ सोचता हुआ यहां आ गया। मैं चाहता था कि माँ के हाथ का खाना खाकर और आशीर्वाद लेकर आऊं, लेकिन लगा कि कहीं पैर पीछे न हट जाएं, इसलिए ऐसा नहीं किया। मैं अपना इलाका छोड़ कर जा रहा हूं। मैंने कितने सपने देखे थे। मैं तेलंगाना छोड़ कर जा रहा हूं। मन में पूरा दुख है। सच बोलना है, मुझे नहीं मालूम कि मैं यहां कैसे आ गया। यहां आने के बाद मन में एक ही इच्छा है और कुछ नहीं सोच रहा हूं। मैंने जो सोचा, वह करूंगा। तेलंगाना होने के लिए मैं भी भागीदार बनूंगा।

अध्यक्ष जी, मुझे लगता था कि यह जितना संजीदा विषय है, उतनी संजीदगी से मुझे बोलने दिया जाएगा लेकिन उतनी संजीदगी से मुझे बोलने नहीं दिया गया, टोकाटोकी की गई। इसलिए मैं गृहमंत्री जी, आपसे ज्यादा

कुछ न पूछते हुए एक निवेदन करना चाहती हूं कि यह कंसेंसस बहुत हो गई, अब आपने प्रैस रिजोल्यूशन की बात की है जिसको चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जरूरत नहीं है। मेरा यह कहना है कि मुझे कुछ नहीं पूछना है। मुझे एक निवेदन करना है, आप तेलंगाना का बिल लेकर आइए, यह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, दो–तिहाई सांसद आपको चाहिए, हम वो सांसद जुटाएंगे।

प्रणव दा, आपने कल यह अपील की थी कि हम जो बिल ला रहे हैं, उन बिलों पर विपक्ष आकर साथ दे। आज मैं अपील कर रही हूं, आप बिल लाइए। हम सब साथ देंगे और तेलंगाना का निर्माण होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे और सरकार से बिल लाने के लिए अपील कर रही हूं तो मैं सदन से भी अपील कर रही हूं कि हमें तेलंगाना के लिए मरने वाले लोगों से एक अपील करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि वे मरें नहीं, बल्कि वे तेलंगाना बनता हुआ देखने के लिए जिंदा रहें। उन लोगों का मरना देश के हित में नहीं होगा। इसलिए मैं केवल वहां के अपने बहन–भाइयों से एक अपील करना चाहती हूं:–

"Sodhara, Sodharimanulaara, Telangana kosam balidaanam vaddhu. Telangana Choodadaaniki Brathakaali, Brathakaali" It means: "Brothers and sisters, do not sacrifice your lives for Telangana. You should live to see Telangana."

■■

Not only Lokpal or Janlokpal but citizen's rights at stake : Swaraj

Calling the Congress led UPA Government not only corrupt but also repressive, Leader of Opposition in the Lok Sabha Smt. Sushma Swaraj described PM Manmohan Singh's statement on circumstances leading to Anna Hazares's arrest a "bundle of lies" that concealed more than it revealed. Smt. Swaraj blasted the Congress led UPA Government for trying to put the blame at Delhi Police's door for the entire arrest fiasco and hit out at Congress leaders for launching a personal attack on the social activist Shri Anna Hazare. We are publishing the synopsis of the speech made by Smt. Swaraj in Lok Sabha on August 18 for our readers.

I stated in the beginning that we had sought structured discussion on the issue of corruption and we shall discuss it. But, all the leaders would like to make their comments on the statement made by Hon. Prime Minister. Before I set out to put forth my views on this statement, I would like to make one point. The Minister of Parliamentary Affairs is duty bound to ensure smooth functioning of the House. He has to ensure smooth conduct of the proceedings of the House with coordination with all the parties and groups and certainly by speaking less and maintaining his cool composure. However, the experience of the House shows that the conduct of the Minister of Parliamentary Affairs becomes more often than not the cause of disruption of the House. It happened yesterday and it has happened today also. Yesterday, he challenged the Ruling of the Chair. Today also he violated the Chair's observation immediately after the Chair had made a specific observation before the start of the discussion. Hon. Prime Minister made a long statement on the events of yesterday. Whether it is good or bad, the Chair will decide but we would say what we intend to say. The Members of the treasury benches cannot put their words in our mouth. I would like to categorically say that this statement reveals the truth less and muzzles the voice more. Hon. Prime Minister shifted the entire responsibility from the Government to the

shoulders of the Delhi Police. In this country, the anti-corruption campaign is going on for last so many days. As a result of which, three Members of the Ruling Party are languishing in the jail. Today this movement is being lead by Shri Anna Hazare but the attitude of the Government defies any sane thinking. The behaviour of the Government is disbalanced. This statement mentions of Parliamentary supremacy in 4-5 paragraphs. The Prime Minister's mention of Parliamentary processes and enactment of laws through the due process of Parliament. The very first question I would like to ask from the Prime Minister as to who threw to the wind the Parliamentary processes? Who decided to discuss this issue with the team Anna ignoring the entire Opposition? Five senior Minister of the Government including the Leader of the House sat with team Anna to draft the Bill. When Shri Anna visited us, we asked him as to why they kept the entire Opposition out, to which they replied that they had made this point to the Government that the members of the Opposition Parties should also be there on the Committee. But the Government replied that they themselves and the members of the team Anna are O.K. I would, therefore, like to ask if that was O.K. then why the tone and tennor of the Government changed after they fell apart.

Then the Government turned to the Parliamentary process, wrote letters to us and called a meeting of the Opposition Parties. One senior Minister of the Ruling Party who sat with them in all meetings, later dubbed them as corrupt. The Spokesman of the ruling Party who is an Hon. Member of this House says that Anna Hazare is neck deep in corruption. I would like to make a humble advice to him that he has just started his political career and he is elected to this august House for the very first time, therefore, he should learn modesty and mind his language. Today, I would like to say to the Prime Minister that the Government is out to undermine the Parliamentary processes of which he is making mention in his statement. **The second thing he has mentioned in the 11th paragraph of his statement that the Government acknowledges the rights of the citizens. There cannot be anything untrue than this. On the night of 4th June, who lathi charged the supporters of Swami Ramdev? Was it protection of citizens' rights?** Recently, on August 9, the workers of the BJYM were also lathi charged on the day of 'Quit India Movement'. Was it also an attempt to protect the rights of the citizens? Was it also protection of citizens' rights to arrest Shri Anna Hazare from a residence in Mayur Vihar who did not even violate the section 144? Some Hon. Member from the Ruling Party was saying that the statement made by the Prime Minister is good but I would like to very emphatically say that this is the pack of lies. The whole country was agitated on the issue of corruption yesterday but with its actions and conduct the Government has proved not only to

be corrupt but oppressor also. If the RSS lends its support to any movement in the country then our Minister of Home Affairs gets very agitated. I would like to ask the Prime Minister that the separatists under the leadership of Shri Gilani come to Delhi and make anti-India speeches in Delhi but the Delhi Police does not move at all. Therefore, this Government is the protector of the rights of such people but when a saffron clad saint or any Gandhian bearing a Gandhi cap or an RSS activist comes to Delhi then he is lathi charged. I wonder as to why the Government is irked by the RSS. In fact, the RSS is a patriotic organization. As many as 116 members of this House, 45 Members of the other House and seven Chief Minister of States have faith in RSS. Yesterday, as many as four senior Ministers of this Government while defending the Government on different Channels were responding that such questions should be put to the Commissioner of Delhi Police. It simply shows that this Government is indecisive and is not able to defend its own decisions. Will anybody buy this argument that the Prime Minister is unaware of these issues and the Commissioner of Delhi Police is deciding as to where the fast would take place, as to for how many days the fast would be allowed and as to how many people will be allowed to participate. This nation has framed the Constitution and the Constitution has given the right to protest. As far as the Bill is concerned we also have some reservations about various provisions of the Jan Lokpal but now this fight is not for Lokpal or Jan Lokpal but the greater issue is that of citizen's rights. The kind of undemocratic attitude the government adopts outside the House, the same attitude it adopts inside the House to muzzle the voice of the Opposition. This Government has brazenly attempted to undermine and malign the dignity of the Constitutional Institutions. The CAG is attacked both inside and outside this House. The Members the ruling Party create unnecessary din in the PAC. One institution of Speaker was left but yesterday the Minister of Parliamentary Affairs challenged the Ruling of the Speaker thereby undermining the dignity of the Chair. This country will never forgive for the treatment meted out to Anna Hazare.

The entire nation has come on to the roads. We the Opposition have never allowed and would never allow the supremacy of Parliament to be undermined. In the year 1975 this ruling party had assaulted the supremacy of Parliament. We shall not allow the supremacy and dignity of Parliament and Judiciary to be maligned but the citizens' rights are top of all.

Today, country is independent. If this Government tries to violate the rights of the citizens then we shall oppose it with full strength at our command and I reject this statement in full.

■■■